महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब.(अना.) 2018/6113-18 दिनांक : 17.01.2018

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012– 2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की अध्यक्षता में गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 17.01.2018 को हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी/महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यो के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1	अ	संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम	राजेन्द्र शैक्षिक समिति, पीलीभीत
	ब	पंजीकरण तिथि	30.09.2000
	स	पंजीकरण वैधता तिथि	30.09.2015 से 05 वर्ष की अवधि तक
2	अ	महाविद्यालय का नाम	स्प्रिंगडेल महिला महाविद्यालय, बरेली
	ब	पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम	बी0एड0
	स	स्थायीकरण की स्थिति	स्थायी
3		अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु	स्नातक
4	अ	अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय	वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकायान्तर्गत
	ब	अनापत्ति से सम्बन्धित विषय	बी0एस0सी (गृहविज्ञान), बी0एस0सी0 (भौतिक,रसायन,गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), बी0कॉम0, बी0कॉम0(आनर्स)

1. महाविद्यालयों के जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की शहरी क्षेत्र में चौड़ाई 20 फिट और ग्रामीण क्षेत्र में चौड़ाई 15 फिट है। उक्त भूमि पर राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेंगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नही कराई जायेगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या 3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002, शासनादेश संख्या 3411/सत्तर–2– 2002–2(166)/2002, दिनांक 11.10.2002, शासनादेश संख्या 193/सत्तर–2– 2003–2(166)/2002, दिनांक 13.01.2003, शासनादेश संख्या 585 मु.मं./सत्तर–2–2005–2(166)/2002, दिनांक 21.10.2005, शासनादेश संख्या 743 मु.मं./सत्तर–2–2006–2(166)/2002, दिनांक 07.11.2006, शासनादेश संख्या 1140/सत्तर–3–2009, दिनांक 10.07.2009, शासनादेश संख्या 1528/79–6–2008, दिनांक 20.07.2009, शासनादेश संख्या–4070/सत्तर–2–2011– 16(686)/2011, दिनांक 20.04.2012 शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012– 2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।
5. शासन के पत्र संख्या 522/70–2–2013–2(650)/2013 दिनांक 30.04.2013 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालय को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होने चाहिए।
6. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुयी वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
7. सस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं होगा।
8. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग रू0100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करनी होगी।
10. उक्त पाठयक्रम का संचालन, अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम– दोहना पीतमराय, परगना,दोहना पीतमराय, तह0 बरेली, जिला–बरेली में स्थित में खाता संख्या 126 गाटा संख्या 538/1.6190 हैक्ट0 में से 0.500 हेक्टेयर (5000 वर्ग मीटर) भूमि पर मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यंत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
11. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।
12. वर्णित गाटो संख्या के संबंध में धारा 143 एव धारा 176 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0वव्य0 अधिनियम की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करा ली जायेगी।
13. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(10) के प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठयक्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
14. सम्बद्धता के निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल द्वारा परीक्षण कर लिया जाय –
    1. भवन/चहारदीवारी के निर्मित होने की स्थिति/मानचित्र की स्वीकृति।
    2. सम्पर्क मार्ग की चौडाई।
    3. सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि का अतिक्रमण न किया जाना।
    4. आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की शुद्धता।
    5. विभिन्न गाटों की संयुक्ता।
    6. बैंक खाते में अपेक्षित धनराशि का होना।
    7. वाँछित भूमि की खतौनी को उपाजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना।
    8. सोसाइटी की वैधता।
    9. शिक्षकों की नियुक्ति।
    10. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन।
    11. अग्निशमन की व्यवस्था।
    12. यह अनापत्ति वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, पत्रजातों,/शपथपत्र एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्ही अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है अथवा यह असत्य पाया जाता है तो इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।
    13. नवीन महाविद्यालय के उपरोक्त विषयों में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की निरीक्षण आख्या में सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाये।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
4. जिला अधिकारी, बरेली।
5. प्रभारी बेवसाइट, को इस आशय से कि अनापत्ति पत्र को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव